

निधि संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

1. प्रस्तावना :

केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.02.2002 की आदेश सं. 37/61/96-सी.एल-VI के द्वारा दो अधिसूचनाओं सा. का. नि 555(अ) तथा 556(अ) दिनांक 26.07.2001 के द्वारा सबनयागम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ दल (इसके पश्चात् "दल" के रूप में संबोधित) का गठन किया। उक्त आदेश निम्नलिखित है:

"केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) तथा 556(अ) दिनांक 26.07.2001 के जारी होने के फलस्वरूप चैम्बर ऑफ निधिज तथा कई मौजूदा निधि कंपनियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है।

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | श्री ए. आर. राव, पूर्व अध्यक्ष, आयकर समाधान आयोग | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एन सदाशिवन, कार्यकारी निदेशक, आर.बी. आई | सदस्य |
| 3. | श्री टी. एस गोकिलन, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ निधिज | सदस्य |
| 4. | श्री एस गोपालकृष्णन्, उपाध्यक्ष, चैम्बर ऑफ बेनिफिट फंड्स | सदस्य |
| 5. | श्री वी. ए. राव, प्रादेशिक निदेशक, चेन्नई डीसीए | सदस्य |
| 6. | श्री राजेश मल्होत्रा, उप सचिव, डी सीए | सदस्य –सचिव |

विशेषज्ञ दल निम्नलिखित के संबंध में जांच और सिफारिशें करेगा :

वे 18 मुद्दे जिनके विरुद्ध चैम्बर ऑफ निधिज/निधि कंपनियों ने प्रतिवेदन दिए हैं तथा उक्त अधिसूचनाओं के संबद्ध प्रावधानों में संशोधन के द्वारा संशोधन/छूट का सुझाव देने के संबंध में। यह पृथक-पृथक निधि कंपनियों को मौजूदा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुपालन में समय सीमा में विस्तार प्रदान करने के विकल्प की भी जांच करेगा ।"

प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में दिया गया है ।

- (2) यद्यपि यह कार्य जटिल प्रतीत होता था, तथापि दल को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि लगभग वे सभी व्यक्ति जिनके साथ उनके पारस्परिक विचार-विमर्श हुए, को यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियों के कार्यों को अधिनियमित करने की आवश्यकता है ताकि उनके कार्यकलाप एक व्यवसायिक तरीके से किए जाएं। इसमें एक मतैक्य था कि इसके बाद से अस्तित्व में आने वाली सभी निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित अधिनियमों का पालन करेगी । तथापि इस बात की गंभीर आशंका थी कि मौजूदा निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसाइटीज जो पारंपरिक ढंग से कई दशकों से अपने कार्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक करती आ रही हैं, वे हाल की अधिसूचनाओं में निर्धारित परिवर्तनों के लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी । विशेष रूप से विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसरण तथा निक्षेपों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के रख-रखाव के मामले में उनके बीच एक काल्पनिक भय था। दल के समक्ष एक सशक्त निवेदन यह किया गया कि निधि या म्युचुअल बेनीफिट सोसायटीज के लिए इतने कम समय में नई शासन प्रणाली में भारी परिवर्तन करना असंभव होगा। इस बात की ओर बार-बार ध्यान दिलाया गया

कि एनबीएफसी के लिए भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित अधिनियमनों के साथ जुड़े रहने के लिए पर्याप्त लम्बा समय प्रदान किया था। उनके विचारों को सुनने के बाद दल इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हुआ कि इन संस्थानों को अपनी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए तथा अनुपालना के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के दौरान, मुख्यतः निम्नलिखित अवधारणों द्वारा दल का मार्गदर्शन किया गया :

- (क) निधि या म्युचुअल बेनिफिट कंपनियों को न सिर्फ अपनी वर्तमान मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए बल्कि जारी की जा चुकी अधिसूचनाओं में शामिल विभिन्न अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने में अधिक समय चाहिए; तथा
 - (ख) निधि मध्यमवर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है जो निधि के सदस्य हैं और साधारणतः एक छोटे स्थानीय क्षेत्र में ही कार्य संचालन करते हैं तथा सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अतः एनबीएफसी के लिए निर्धारित कतिपय मानदण्डों को इन संस्थानों के लिए लागू करते समय आवश्यक रूप से हल्का किया जाना चाहिए।
- (3) निर्देशन की शर्तों के अनुसार, दल को "पृथक-पृथक निधि कंपनियों को मौजूदा अधिसूचनाओं की प्रावधानों के अनुपालना के लिए समय-सीमा में प्रदान किए जाने वाले विस्तार के विकल्प की भी जांच" करने के लिए कहा गया है। पिछले पैरा में दी गई बिन्दुओं के मद्देनजर दल ने सभी संस्थानों के लिए, जहां आवश्यक हो, अधिसूचनाओं की अपेक्षाओं की अनुपालना के लिए समय-सीमा में सामान्य विस्तार की सिफारिश की है। दल का विचार है कि

पृथक-पृथक मामलों में समय-सीमा में विस्तार प्रदान करना वांछनीय नहीं होगा।

- (4) विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के दौरान दल ने जिस अन्य कारक को ध्यान में रखा है वह यह है कि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के संचालन में, जमाकर्ताओं, कर्जदारों तथा शेयरधारकों के हित परस्पर विरोधी हैं। तथापि, इन संस्थानों की स्थापना विशेषकर इनके सदस्यों के बीच किफायत करने की आदत को पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त पर बढावा देने के उद्देश्य से किया गया था। जमीनी वास्तविकता यह है कि एक बडी संख्या में जमाकर्ता एवं कर्जदार, सिर्फ प्रक्रियागत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सदस्य बनते है। इससे जमाकर्ताओं, कर्जदारों तथा सदस्यों के बीच हितों के विवाद उत्पन्न होते हैं। अपने सभी सिफारिशों में दल ने ऐसे विवादास्पद हितों को संतुलित करने की कोशिश की है।

II. मुद्दों पर विचार-विमर्श

कुछ निधियों के प्रतिनिधियों को अधिसूचना के प्रावधानों की तुलना में अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक सामान्य सुनवाई के अलावा दल ने पांच बैठकें की है। सुनवाई का उद्देश्य दिनांक 26.07.2001 की अधिसूचना 555(अ) तथा 556(अ) को लागू करने में आ रही मुश्किलों तथा समस्याओं/सीमा की वास्तविकता को जानने के लिए विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान करना था। विभिन्न बैठकों में दल ने पृथक-पृथक निधि कंपनियों के साथ साथ चैम्बर ऑफ निधिज तथा चैम्बर ऑफ बेनिफिट फंड्स द्वारा व्यक्त की गई मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुद्दे की जांच की। ऐसे विचार-विमर्श दल की सिफारिशों के आधार है।

मुद्दा संख्या 1 शेयरों के अंकित मूल्य में वृद्धि

दिनांक 26.07.2001 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) के खण्ड 1(क) (iv) (इसके पश्चात् "अधिसूचना" द्वारा संबोधित) में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 620क के तहत निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के रूप में धोषित किया गया है, अधिसूचना की तारीख से पहले या बाद में 10/-रुपये से कम के नाममात्र मूल्य के इक्वीटी शेयर जारी नहीं करेगी, बशर्ते कि मौजूदा निधि जिनके पास 10/-रुपये से कम अंकित मूल्य के इक्वीटी शेयर है, वे अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर अंकित मूल्य 10/-रुपये तक बढ़ा दें । बड़ी संख्या में निधि कंपनियों, चाहे वे अधिनियम की धारा 620 क के तहत अधिसूचित निधि कंपनी के रूप में कार्य कर रही हो या संभावित निधि कंपनियों जो अधिनियम की धारा 620 क के तहत धोषित किए जाने हेतु प्रतीक्षारत हैं,ने उक्त प्रावधान को लागू करने में कई व्यवहारिक कठिनाईयां व्यक्त की हैं। विशेष रूप से,यह इंगित किया गया कि छोटे शेयरधारकों, जिनका कंपनी के साथ कोई चालू आदान-प्रदान नहीं है, को शेयरों के अंकित मूल्य को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देने के लिए राजी करना असंभव होगा । इसमें शामिल व्यय भी अत्यधिक मात्रा में होगा।

विचार-विमर्श के पश्चात् दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 620क के तहत अधिसूचित मौजूदा निधि कंपनियों, साथ ही अधिनियम की धारा 620क के तहत धोषणा के लिए प्रतीक्षारत संभावित निधि कंपनियों जो पहले से ही कार्य कर रही हैं,को इक्वीटी शेयर के अंकित मूल्य में बिना कोई परिवर्तन किए मौजूदा पूंजी संरचना के साथ कार्य करते रहने की अनुमति दी जाए। अन्य शब्दों में जहां तक निधि कंपनियों तथा संभावित निधि कंपनियों का प्रश्न है,यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए। तथापि,दल ने यह पाया कि नई कंपनियों,जिनका निगमन अधिसूचना के पश्चात् होना है,को 10रुपये/-सममूल्य के इक्वीटी शेयर रखने पर जोर देना होगा, जैसा कि अपेक्षित है। नई कंपनियों को, जिनका निगमन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् होगा, 10रुपये/-अंकित मूल्य के इक्वीटी शेयर रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

सिफारिश करते समय,दल मुख्य रूप से मुद्दा संख्या 9 पर अपने द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक प्रभावित हुआ।

मुद्दा संख्या 2: शेयरों का अधिमान्य आबंटन

अधिसूचना का खण्ड 1(क)(v) में यह प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम की धारा 620 क के तहत निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के रूप में धोषित कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं करेगी, परन्तु राइट्स इश्यू करेगी तथा गैर-पूर्वकीत हिस्से को अधिनियम की धारा 81 के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा आबंटित किया जा सकता है। इस प्रावधान के विरुद्ध,विभिन्न निधि कंपनियों ने कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां व्यक्त की हैं। दल ने इन कंपनियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों पर विचार किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा खण्ड 1(क)(v) में संशोधन उपयुक्त परंतुक के साथ किया जाना चाहिए कि नए जमा धारकों तथा कर्जदारों के लिए 100/-रुपये अंकित मूल्य तक के शेयर के आबंटन में तथा निदेशकों द्वारा धारित योग्यता शेयरों के संबंध में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

मुद्दा संख्या 3: पूर्वदत्त ब्याज वारंट

अधिसूचना के खण्ड 1(क)(xiv) में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 620क के तहत निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी धोषित किया गया है,वह पूर्वदत्त ब्याज वारंट जारी नहीं करेगी। इस प्रावधान के विरुद्ध, विभिन्न निधि कंपनियों ने यह प्रतिवेदन दिया कि उनके पास जब तक पर्याप्त फंड है, तब तक उन्हें पूर्वदत्त ब्याज वारंट जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर ज्यादा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। इस मुद्दे पर निधि कंपनियों के प्रतिवेदन तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आर बी आई ने पूर्वदत्त ब्याज वारंट के मुद्दे को तब तक प्रतिबंधित

रखा है जब तक ऐसे मुद्दे से संबंधित संपूर्ण राशि बैंक में जमा न हो। साथ ही निधि के सदस्य एक छोटे क्षेत्र में स्थित होते हैं। अतः ऐसे वारंट को जारी करने की अपेक्षा नहीं करते हैं। विचार-विमर्श के पश्चात्, दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व-दत्त ब्याज वारंट जारी करने के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध को जारी रखा जाए।

मुद्दा संख्या 4: शुद्ध स्वामित्व वाले फंड में अधिमान शेयर पूंजी को शामिल न करना

अधिसूचना के खण्ड 1(ख)(iii) में यह प्रावधान है कि अधिमान शेयर पूंजी की प्राप्तियों को निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के आकलन में विचार नहीं किया जाएगा। इसके विरुद्ध निधि के प्रतिनिधियों ने यह ध्यान दिलाया कि वर्ष 1997में अधिसूचना सा.का.नि.संख्या 603 (अ) द्वारा सरकार ने कंपनी की शेयर पूंजी स्थिति में वृद्धि करने ताकि अपेक्षित शुद्ध स्वामित्व वाले फंड की प्राप्ति हो सके, की अनुमति दी थी, अब अगर अचानक इसे वापस ले लिया जाता है, तो यह पूंजी संरचना को प्रभावित करेगा और कंपनी की शुद्ध स्वामित्व वाले फंड की अपेक्षाओं की प्राप्ति में अधिक कठिनाईयां उत्पन्न करेगा। अतः उन्होंने अनुरोध किया कि अपेक्षित शुद्ध स्वामित्व वाले फंड की प्राप्ति के लिए एक मध्यमार्ग प्रदान किया जाना चाहिए। दल ने विभिन्न निधि प्रबंधनों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी तथा उन्होंने यह बात समझ ली कि अधिमान शेयर पूंजी को या तो नई इक्वीटी शेयर जारी करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है या अधिमान शेयर पूंजी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके इक्वीटी शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रबंधन की ओर से व्यक्त कठिनाई को दूर किया जाएगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए प्रबंधनों को कुछ और समय दिया जाना चाहिए। अतः दल यह सिफारिश करता है कि सरकार 31दिसंबर,2003 तक का समय दे सकती है, इस समय तक कंपनियां अधिमान शेयर पूंजी की पुनर्प्राप्ति कर सकती है या उन्हें इक्वीटी शेयर कैपिटल में परिवर्तित कर सकती है। दल ने यह सिफारिश किया है 31 दिसंबर, 2003 तक अधिमान शेयर पूंजी को खण्ड 1(ख)(iii) के साथ-साथ खण्ड

1 (घ)(i) के अनुसरण में शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के आकलन में शामिल किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 5- शुद्ध स्वामित्व वाले फंड एवं निक्षेप का अनुपात

अधिसूचना के खण्ड 1(घ)(i) में, मानदण्ड निम्नवत् निर्धारित किया गया है :

" कोई निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र में उल्लेख किए गए अपने शुद्ध स्वामित्व वाले फंड (एनओएफ) के बीस गुना से अधिक का निक्षेप स्वीकृत नहीं कर सकती है

बशर्ते कि मौजूदा निधि जिनके पास उपर्युक्त सीमा से अधिक निक्षेप है, शुद्ध स्वामित्व वाले फंड में वृद्धि करके या इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के अंदर निक्षेप घटाकर इसे निर्धारित सीमा में ले आएंगे ।

बशर्ते कि अनुपात तत्काल रूप से निक्षेप वृद्धि पर लागू हो ।

स्पष्टीकरण : "शुद्ध स्वामित्व वाले फंड" का अर्थ है प्रदत्त इक्वीटी पूंजी तथा खुली आरक्षितियों के योग को इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किए गए पिछले लेखा परीक्षा तुलनपत्र में दिए गए संचित हानि तथा मूर्त आस्तियों द्वारा घटाया जाने पर प्राप्त कुलयोग। किसी भी आरक्षिति को : "खुली आरक्षिति" माना जाएगा यदि वह लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त अधिमान शेयर जारी करने पर प्राप्तियों को प्रदर्शित करने वाली राशि को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा।"

उपर्युक्त से यह देखा जा सकेगा कि प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी अपने शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के बीस गुना से कम निक्षेप स्वीकृत कर सकता है। विभिन्न निधियों के प्रतिनिधियों ने यह प्रतिवेदन दिया है कि कई निधि तथा म्युचुअल बेनिफिट सोसायटीज़ ने अपने शुद्ध स्वामित्व वाले फंड से 20 गुना अधिक निक्षेप स्वीकृत किया था तथा वे कई दशकों से बहुत बुद्धिमतापूर्ण व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह प्रतिवेदन दिया कि यदि मानदण्ड बहुत जल्दी लागू कर दिया जाता है, तो इससे मुश्किलें उत्पन्न होंगी तथा यह उनकी लिक्विडिटी अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई उत्पन्न करेगी। चैम्बर ऑफ निधिज तथा चैम्बर ऑफ बेनिफिट फंड कंपनीज ने सत्तर कंपनियों के संबंध में सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया है। यह पाया गया है कि दिनांक 31.03.2001 तक, ऐसी 38 कंपनियां थी (70 कंपनियों में से) जिनका निक्षेप उनके शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 20 गुणे से अधिक था, विवरण निम्नवत् है

शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 21 से 40 गुने के बीच	:	19 कंपनियां
शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 41 से 60 गुने के बीच	:	6 कंपनियां
शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 61 से 80 गुने के बीच	:	7 कंपनियां
शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 81 से 100 गुने के बीच	:	3 कंपनियां
शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 100 गुने से अधिक	:	3 कंपनियां

इस रिपोर्ट के पैरा ;द्ध ;2द्ध में हमने यह बताया है कि इस बात पर सर्व सहमति थी कि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियों को अंततः निर्धारित मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और फिलहाल उनको मानदण्डों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अतः दल इस निष्कर्ष पर पहुंच कि कंपनियों द्वारा मानदण्डों को निम्नलिखित विस्तृत समयविधि में पूरा कर लिया जाना चाहिए:

क) दिनांक 31.3.2001 को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 25 गुना से कम निक्षेप वाली कंपनियां : दिनांक 31.03.2004 तक

ख) दिनांक 31.03.2001 को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 26 गुना से 40 गुना के बीच निक्षेप वाली कंपनियां : दिनांक 31.03.2005 तक

ग) दिनांक 31.03.2001 को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 41 गुना से 80 गुना के बीच निक्षेप वाली कंपनियां : दिनांक 31.03.2006 तक

घ) दिनांक 31.03.2001 को शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 80गुना से अधिक निक्षेप वाली कंपनियां : दिनांक 31.03.2007 तक

दल ने यह नोट किया कि खण्ड 1 (घ) (i) के स्पष्टीकरण शुद्ध स्वामित्व वाले फंड को अधिसूचना जारी होने से पहले पिछले लेखा-परीक्षा तुलनपत्रों में दर्शायी गई स्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। एक बार शुद्ध स्वामित्व वाले फंड का निर्धारण हो जाए तो वे भविष्य में स्थिर रहेंगे। चूंकि यह उद्देश्य नहीं हो सकता था, अतः शब्द "इस अधिसूचना के जारी होने से पहले" जो स्पष्टीकरण में उल्लिखित है, को हटा दिया जाना चाहिए।

मुद्दा संख्या 6: सावधि जमा/आवर्ती जमा की अवधि

खण्ड 1(घ)(ii) (क) (ख) में, यह प्रावधान है कि आवर्ती जमा/सावधि जमा खाते न्यूनतम 12 महीनों तथा अधिकतम 60 महीनों की अवधि के लिए खोले जा सकते हैं। इस खण्ड के विरुद्ध निधि कंपनियों, जिनमें चैम्बर ऑफ निधिज तथा चैम्बर ऑफ बेनिफिट फंड्स भी शामिल हैं, ने अलग-अलग तरह की आपत्ति व्यक्त की है। दल ने सावधि जमा खाते के संबंध में प्रतिवेदनों को तर्कसंगत नहीं पाया। दल ने यह महसूस किया कि सावधि जमा पर मौजूदा प्रतिबंध, जिसमें न्यूनतम समयावधि 12 माह तथा अधिकतम समयावधि 5वर्ष है, युक्तिपूर्ण है न्यूनतम अवधि में कमी लाने से कंपनी की

लिव्कीडीटी स्थिति प्रभावित होगी। अधिकतम समयावधि में किसी प्रकार की वृद्धि करने से ब्याज-दरों में भारी उतार-चढ़ाव होंगे जो कंपनी के लिए हानिकारक होगी।

तथापि निधि प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया कि आवर्ती जमा खाता ज्यादातर उस समय खोले जाते हैं जब कंपनी को बंधक-पत्र ऋण दिए जाते हैं ताकि कर्जदाता को सावधिक रूप से आवर्ती जमा खाता में बचत करने की सुविधा दी जा सके और इससे जमाकर्ता के लिए पुर्नअदायगी आसान हो जाती हैं। तथापि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आवर्ती जमा की अवधि बंधक-पत्र ऋण की अवधि के समान होना चाहिए। तदनुसार, उन्होंने दल से यह अनुरोध किया कि वे आवर्ती जमा को 60 महीनों से अधिक तक जारी रखने में छूट की सिफारिश करें ताकि वह बंधक-पत्र ऋण खाते की अवधि के साथ एक ही समय में समाप्त हो।

दल ने मौजूदा खण्ड में एक छोटे संशोधन की सिफारिश की है ताकि इस बात की व्यवस्था हो सके कि बंधक-पत्र से संबंधित आवर्ती जमा के मामले में आवर्ती जमा की अधिकतम अवधि 60 माह से अधिक तभी हो सकती है जब वह अवधि कंपनी द्वारा आबंटित ऋण की अदायगी की अवधि के समान हो।

मुद्दा संख्या 7: बचत जमा खाता

मौजूदा अधिसूचना के खण्ड 1(घ)(ii) (ग) में यह प्रावधान है कि किसी दिए गए समय में बचत जमा खाता में ब्याज योग्य अधिकतम राशि 20,000/-से अधिक नहीं होगी। ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते में दिए गए ब्याज दर के 2%से अधिक नहीं होगी। इस प्रावधान के विरुद्ध विभिन्न निधि कंपनियों ने प्रतिवेदन दिए हैं। दल ने निधि कंपनियों के निवेदनों पर विचार किया तथा पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बचत जमा खाता में ब्याज-योग्य राशि की 20000/-रूपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। दल ने यह पाया कि बैंक बचत खाते में रखी जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है परन्तु सिर्फ

ब्याज-योग्य राशि के संबंध में ही प्रतिबंध है । बचत जमा खाता धारक को हमेशा यह स्वतंत्रता रहती है कि वह 20000/-रूपये से अधिक की राशि को सावधि जमा खाते में अंतरित कर सकता है । इसके अतिरिक्त, चूंकि निधि कंपनियां समाज के निम्न वर्ग के लोगों का ध्यान रखती हैं, अतः इतनी बड़ी राशि वाले सदस्य बहुत ही कम हो सकते हैं । दल ने यह पाया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जा रहे ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज दर पर प्रतिबंध लगाना तर्कसंगत है । अतः दल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जा रहे दर में विभिन्नता होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत खाते पर दिए जा रहे ब्याज दर के साथ मौजूदा प्रावधानों को जारी रखने की सिफारिश करता है ।

मुद्दा संख्या 8: आवेदन प्रपत्र में कंपनी से संबंधित विभिन्न ब्यौरे शामिल होंगे:

(i) अधिसूचना का खण्ड 1 (ड) (क) (i) से (xii) तथा ख (i) से (v) में सदस्यों से जमा स्वीकार करने के लिए बनाए गए आवेदन पत्रों में विभिन्न बातों की सूचना शामिल करने का निर्धारण किया गया है । विभिन्न निधियों के प्रतिनिधियों ने यह प्रतिवेदन दिया है कि इस प्रावधान को दिनांक 1 अप्रैल 2002 से लागू किया जाए क्योंकि कंपनियों के पास बड़ी संख्या में आवेदन पत्र जमा हैं और वे उन्हें बेकार जाने देना नहीं चाहती हैं । दल ने इस अनुरोध की जांच की तथा दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रबंधन द्वारा मांगा गया समय दिया जा सकता है । तथापि, खण्ड 1 (ड) (क) (ii) से (xii) में शामिल विशेष बातों के अतिरिक्त, दल का मत है कि जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों में कंपनी की अद्यतन तुलनपत्र का संक्षिप्त विवरण भी अतिरिक्त प्रकटन के रूप में शामिल होना चाहिए । इस सिफारिश पर मुद्दा संख्या 16 में स्वयं दल द्वारा की गई सिफारिश के आलोक में विचार किया जाएगा ।

मुद्दा संख्या 9: प्रत्येक सदस्य को कम से कम 100/-रूपये मूल्य के शेयर जारी करना

अधिसूचना के ,खण्ड 1(च)(i) (क) में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि:-

" प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी प्रत्येक जमाकर्ता को कम से कम 10 इक्वीटी शेयर या 100/- रूपये मूल्य के समान शेयर,जो भी अधिक हो, आवंटित करेगी "विभिन्न निधि कंपनियों द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि उपर्युक्त विनियम को लागू करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कुछ मौजूदा शेयर- धारकों ने अपने संपर्क के पते भी नहीं दिए हैं तथा कुछ मामलों में वे कंपनी के साथ कार्य-व्यवहार जारी रखने में इच्छुक नहीं भी हो सकते है।

दल ने विभिन्न निधि कंपनियों/प्रबंधनों के साथ मुद्दे पर विचार-विमर्श किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा कंपनियों को नए खोले गए जमा खाता तथा नवीकृत जमाओं को 100/-रूपये अंकित मूल्य वाले न्यूनतम शेयर जारी करने के अधीन मौजूदा जमाकर्ताओं के साथ अपने वर्तमान ढांचे के साथ जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। दल ने यह भी महसूस किया कि,बचत खाता धारकों तथा आवर्ती जमा खाता धारकों को इस व्यवस्था से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वे अत्यंत गरीब जमाकर्ता या कर्जदार होते हैं जो किस्तों में अपना ऋण अदा करते हैं।

मुद्दा संख्या 10 : निक्षेप की पूर्वसमाप्ति

अधिसूचना के ,खण्ड 1(च) ग(ii) से (iv) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी जमाकर्ताओं द्वारा सावधि जमा खाता की पूर्वसमाप्ति की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में ही प्रदान करें :

- 1) कोई निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी उसकी स्वीकृति की तारीख से 3 महीनों की अवधि के अंदर जमा की वापसी नहीं करेगी।

- 2) जहां किसी निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी द्वारा जमाकर्ता के अनुरोध पर 3महीनों के पश्चात् जमा की वापसी की जाती है, वहां जमाकर्ता जमा की तारीख से 6माह तक किसी ब्याज का हकदार नहीं होगा।
- 3) जहां कोई निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी जमाकर्ता के अनुरोध पर अवधि की समाप्ति से पहले जमा की वापसी करता है, वहां निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी द्वारा आमतौर पर पूरी अवधि तक चलाए जाने वाले जमा पर दिए जाने वाले ब्याज दर से 2% कम ब्याज दर दिया जाएगा। तथापि, इस बात का प्रावधान है कि किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, जीवित जमाकर्ता को जीवित खण्ड के साथ संयुक्त जमाकता की स्थिति में या नामित या कानूनी वारिस को अवधि समाप्त होने से पहले ही उस ब्याज के साथ, जो कंपनी द्वारा आमतौर पर ऐसे जमा की स्वीकृति से समाप्ति तक चलाए गए जमा पर वापसी की तारीख तक दिए जाने वाले ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

इस प्रावधान के विरुद्ध, विभिन्न निधि कंपनियों ने प्रतिवेदन दिए हैं कि यह खण्ड जमाधारकों के हित में नहीं है। अत्यंत आवश्यकता के समय, जमाकर्ता को अनिश्चित परिस्थितों के कारण जमा को पहले समाप्त करना पड़ सकता है। निधि कंपनियों ने यह प्रस्तुत किया कि निदेशक बोर्ड को पूर्व समाप्ति के ऐसे अनुरोधों को, जमाकर्ता द्वारा सामना किए जा रहे मुश्किलों के मद्देनजर तथा जमा की पूर्वसमाप्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वविवेक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

दल ने यह महसूस किया कि इस संबंध में किसी प्रकार की नरमी, निधि कंपनियों को गलत तरीके से छोटी अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करने को

प्रोत्साहित करेगी और इससे पैरा 1 (घ) (ii) (क) में सावधि जमा तथा आवर्ती जमा से संबंधित न्यूनतम अवधि पर प्रतिबंध असफल होगा। अतः दल जमा की पूर्वसमाप्ति से संबंधित मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने की सिफारिश करता है क्योंकि यह युक्तिसंगत प्रतिबंध है और इनमें किसी प्रकार की शिथिलता की अपेक्षा नहीं की जाती है।

मुद्दा संख्या 11: अधिसूचित बैंक के पास निधियों के निक्षेप के 10% का निवेश

अधिसूचना के खण्ड 1(छ) में यह प्रावधान है कि :

प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी दिनांक 1 सितंबर, 2001 से किसी अधिसूचित व्यवसायिक बैंक में, जो कोई सहकारी बैंक या क्षेत्रीय बैंक नहीं होना चाहिए, गैर ऋण वाली आवधिक जमा करेगी जिसकी राशि दूसरे पूर्ववर्ती महीने के अंतिम कार्यदिवस में व्यापार के बंद होने पर बकाया जमा के दस प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

किसी अधिसूचित व्यवसायिक बैंक में इस प्रकार की गैर ऋण वाली आवधिक जमा के रख-रखाव के विरुद्ध कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए क्योंकि ऐसा करने से निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ में अत्यधिक कमी आएगी। जब यह स्पष्ट किया गया कि आवश्यकता सिर्फ कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति को बढ़ावा देना है, तब यह अनुरोध किया गया कि लिक्विडिटी शासन-व्यवस्था के इस प्रावधान को चरणबद्ध तरीके से प्रवर्तित किया जाए। दल ने अनुरोध पर विचार-विमर्श किया तथा यह महसूस किया कि समय के रूप में कुछ छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे लिक्विडिटी अपेक्षाओं का अनुपालन कर सकें। इस उद्देश्य के लिए, दल ने यह सिफारिश किया कि सभी निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियों को दिनांक 31.12.2002 को किसी अधिसूचित बैंक में गैर-ऋण वाली आवधिक जमा करने को कहा जाए जिसकी राशि दिनांक 31.10.2002 को कुल देयता

बकाया जमा का 2% हो तथा उसी राशि को दिनांक 31 दिसंबर, 2003 तक 5% बढ़ा दिया जाए तत्पश्चात् दिनांक 31.12.2004 तक इसे बढ़ाकर 10% कर दिया जाए (जैसा कि अधिसूचना में दिया गया है)

दल का विचार है कि आकस्मिक उत्तरदायित्वों के मामलों में जमा की पुर्नअदायगी के मामले में जमा खाते से निकासी के विनियमन के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए।

मुद्दा संख्या 12 : अचल संपत्ति के एवज़ में ऋण

अधिसूचना का खण्ड 1(ज) निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियों द्वारा अपने सदस्यों को अग्रिम के तौर पर दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों की व्यवस्था करता है। उप-खण्ड (i) (ख)में निम्नलिखित का प्रावधान है:

"बशर्ते कि अचल संपत्ति के एवज़ में ऋण बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख को समस्त बकाया ऋण के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा व्यक्तिगत ऋण जमानत के रूप में रखी गई कुल संपत्ति के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसे ऋण की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: मौजूदा निधि कंपनियां इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्षों के अंदर अचल संपत्ति के एवज़ में ऋण का अनुपात कुल बकाए ऋण के पचास प्रतिशत तक ले आएगी।"

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि बंधक-पत्र ऋण किसी निधि कंपनी या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के कुल ऋण पोर्टफोलियो के 50% से अधिक नहीं हो

सकती। इसके विरुद्ध विभिन्न प्रबंधनों ने यह प्रतिवेदन दिया कि शहरी क्षेत्रों में स्थित निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियां हमेशा अचल संपत्ति के एवज़ में ऋण पर निर्भर करती है तथा अन्य ऋण जैसे सोना या आभूषण ऋण आदि पर ऋण देने की गुंजाइश नगण्य हैं। इसका मुख्य कारण है कि शहरी क्षेत्रों में संपत्ति का मूल्य बहुत अधिक होता है तथा कर्जदाता इन परिसंपत्तियों का उपयोग अपने ऋण के जमानत के रूप में करना चाहते हैं। प्रबंधनों ने कई दस्तावेज एवं सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करके यह साबित करना चाहा है कि शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर निधि या म्युचुअल बेनिफिट फंड कंपनियां सिर्फ अचल संपत्ति ऋण पर निर्भर करती है जबकि अन्य क्षेत्रों में वे मुख्यतः स्वर्ण आभूषणों पर ऋण पर निर्भर करती हैं।

दल ने जांच करने पर यह पाया कि विभिन्न निधि तथा म्युचुअल बेनिफिट फंड कंपनियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन सशक्त हैं। बंधक-पत्र ऋण का 50% से अधिक नहीं होने की अपेक्षा बहुत प्रतिबंधकारी है, विशेषकर जब यह देखा जा सकता है कि इनमें से कई कंपनियां मात्र अचल संपत्ति पर ही ऋण दे सकती है स्वर्णाभूषणों पर नहीं। दल को यह प्रतिवेदन दिया गया था कि ये कंपनियां सिर्फ संपत्ति के पंजीकृत बंधक-पत्र पर ही ऋण प्रदान करती है तथा संपत्ति का अंतरण अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट शहरों जैसे चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता में इन कंपनियों द्वारा न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर बंधक संपत्ति को बेचा जा सकता है। इसलिए इन कंपनियों का अनुभव यह रहा है कि जब भी कर्जदारों को बंधक संपत्ति की नीलामी की धमकी दी जाती है वे हमेशा अपना बकाया चुका देते हैं तथा पैसे की अदायगी के लिए न्यायालय का आश्रय बहुत ही कम मामलों में लेना पड़ता है। अतः दल का विचार है कि अचल संपत्ति ऋण पैसे की वापसी के दृष्टिकोण से अच्छी परिसंपत्ति हैं। इन कंपनियों के व्यवहारिक अनुभव पर विचार करने पर दल यह सिफारिश करता है कि पंजीकृत बंधक ऋणों को 50% की सीमाबद्धता से छूट दी जानी चाहिए। किसी अन्य तरह के बंधक द्वारा अचल संपत्ति पर ऋण को ही सिर्फ अधिसूचना के 1 (ज) (i) (ख) के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। इस सिफारिश को करते समय, दल ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बंधक ऋण के कारण उठने वाली लिक्विडिटी समस्याओं को मुद्दा संख्या 11 में की गई सिफारिश में उल्लेख किए गए

लिव्कीडिटी शासन-व्यवस्था कम करती है। इसके द्वारा, शहरी निधि कंपनियों द्वारा फंड के विनियोजन की कठिनाई पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही जमाकर्ताओं के फंड भी संपत्ति के कानूनी पंजीकृत बंधक-पत्र द्वारा सुरक्षित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त दल को यह सूचना दी गई कि अधिकतर बंधक ऋण 7वर्ष की अवधि के लिए है तथा ऋण अवधि को घटाकर 5 वर्ष करने से कई व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि कर्जदार ऋण की अदायगी मासिक किस्तों में करना चाहता है, तो 7वर्ष की अवधि के ऋण की तुलना में 5वर्ष की अवधि वाले ऋण के लिए ई एम आई (समान मासिक किस्त) की राशि बहुत अधिक होगी। आगे यह भी बताया गया कि बड़ी अवधि के ऋण के लिए ब्याज दर अधिक लिया जाता जिससे कंपनी को फायदा होता है। अतः यह तर्क दिया गया कि बंधक ऋण के लिए 5 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया जाए। दल द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया। यह जमाकर्ताओं एवं कंपनी के हित में है कि बंधक ऋण की अधिकतम सीमा 7वर्ष किया जाए तथा दल अचल संपत्ति ऋणों पर समय सीमा विस्तार 7वर्ष तक सिफारिश करता है। दल ने इस सच्चाई को नोट किया कि ये ऋण आमतौर पर निम्न आय वर्ग के लोगों को उनके सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं तथा पूर्णअदायगी के लिए 5 वर्षों की समीा अवास्तविक होगी।

मुद्दा संख्या 13 अपने एफडी,केवीपी, एनएससी आदि पर ऋण

अधिसूचना का खण्ड 1(ज) (i) (ग) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी निम्नलिखित जमानतों के एवज़ में अपने शेयरधारकों या सदस्यों को ऋण देगी, जैसे, सावधि जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, बीमा पॉलिसी तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियां, बशर्ते कि ऐसी प्रतिभूतियां जो कंपनी के पास बंधक रखी जाएगी उनका आसानी से निकास किया जा सके तथा ऐसी प्रतिभूतियों की बंधक अवधि ऋण अवधि के परे नहीं होनी चाहिए या एक वर्ष होना चाहिए, जो भी पहले हो।

इस प्रावधान के विरुद्ध निधि कंपनियों ने यह प्रतिवेदन दिया है कि सिर्फ सावधि जमा के एवज़ में ऋण से संबंधित प्रतिबंध को छोड़कर। ये प्रतिबंध युक्तिपूर्ण है उन्होंने कहा है कि सावधि जमा के एवज़ में ऋण के मामलों में अधिकतम अवधि जमा अवधि के शेष तक की अनुमति दी जा सकती है। यह स्पष्ट किया गया है कि सावधि जमा के बंधक के एवज़ में दिए जा रहे ऋण के मामलों में, गुंजाइश 25% तक होगी तथा ऋण अवधि को सावधि जमा के शेष अवधि के समान होने की अनुमति देने में कोई जोखिम नहीं होगा।

दल ने प्रतिवेदनों पर विचार किया तथा पाया कि इस प्रावधान में शिथिलता के लिए दिए गए कारण वैध है। विचार-विमर्श करने के पश्चात् दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां तक सावधि जमा के एवज़ में ऋण का प्रश्न है, वहां मौजूदा खण्ड में शिथिलता दी जानी चाहिए समय सीमा प्रतिबंध सावधि जमा के एवज़ में दिए गए ऋण पर लागू नहीं होंगे। तदनुसार दल यह सिफारिश करता है कि सावधि जमा के एवज़ में ऋण की अवधि सावधि जमा की शेष अवधि के समान हो सकती है।

मुद्दा संख्या 14: ऋण पर लगाए गए ब्याज की सीमा

अधिसूचना के खण्ड 1 (ज) (ii) में यह प्रावधान है कि निधि कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पर लगाए गए ब्याज दर उनके द्वारा स्वीकृत जमा पर दिए गए उच्चतम ब्याज दर के 5% से अधिक नहीं होगी तथा शेष में कमी लाने की प्रणाली पर आधारित होगी। निधियों का यह दावा है कि प्रदत्त 5% का विस्तार अत्यन्त कम है तथा उनका वर्तमान कार्यशील विस्तार इस अंक से अधिक है। विभिन्न निधि कंपनियों ने अपने विस्तार का आकलन दर्ज किया तथा यह देखा गया कि लगभग सभी का विस्तार 7 एवं 8% के बीच है तथा कुछ का विस्तार 9% से अधिक है।

दल ने प्रतिवेदनों के साथ-साथ विस्तार को नियंत्रित करने की आवश्यकता की जांच की ताकि कर्जदाताओं को बुरी तरह से निचोड़ा न जाए। एक लंबे विचार-विमर्श के पश्चात् दल ने यह निष्कर्ष दिया कि ब्याज दरों का विस्तार 7.5%से अधिक नहीं होना चाहिए। तदनुसार यह सिफारिश की गई कि खण्ड 1 (ज) (ii)में विस्तार को 5% से बढ़ाकर 7.5%कर दिया जाए।

मुद्दा संख्या 15: निदेशकों का कार्यकाल

खण्ड 1 (ज) (द्वितीय ज) (i) (क) में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी जिसे अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी घोषित किया गया है, नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के मामले को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को 10वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार निदेशक नहीं बना सकती है। इस प्रतिबंध के विरुद्ध विभिन्न निधि कंपनियों ने यह प्रतिवेदन दिया है कि अन्य से अलग,इन कंपनियों में प्रवर्तक निदेशकों/निदेशकों के साथ निकट की पहचान होती है। जब कोई निदेशक कोई कंपनी छोड़ता है या अपने निदेशक पद पर बना नहीं रहत है ,तो यह कंपनी के लिए असफलता का प्रतीक होता है तथा इससे कंपनी के बंद होने की संभावना होती है। इसके मद्देनजर,निधि कंपनियों ने यह मांग की कि इस प्रतिबंध में शिथिलता दी जानी चाहिए ताकि वर्तमान निदेशक आम निकाय में विशेष संकल्प द्वारा चुनाव के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक निदेशक बने रह सकें। दल ने प्रतिवेदनों पर विचार किया तथा पाया कि इस प्रतिबंध की शिथिलता के लिए प्रदान किया गया आधार उतना विश्वसनीय नहीं है।दल ने अग्रणी निधि कंपनियों की असफलता के कारणों को नोट किया, जैसे, रोयापेटाह बेनिफिट फंड, अलवारपेट बेनिफिट फंड आदि, जिन्होंने कुछ निदेशकों के प्रबंधन के प्रभुत्व को स्वीकार किया जो निहित स्वार्थ के लिए कार्य करते थे।दल का विचार है कि मौजूदा प्रतिबंध तर्कसंगत है,विशेषकर तब जब नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक पद पर बने रहने का प्रावधान है। अतः दल मौजूदा प्रतिबंध को बगैर किसी परिवर्तन के जारी रखने की सिफारिश करता है।

मुद्दा संख्या 16: वार्षिक लेखे का प्रेस प्रकाशन

अधिसूचना के खण्ड 1 (ज) (द्वितीय ज) (ii) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी जिसकी सदस्यता 10,000 तथा इससे अधिक है, या जिसका निक्षेप 2 करोड़ रूपए या उससे अधिक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी तथा एक देशी बोली का समाचार पत्र होना चाहिए, में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीनों के अंदर लेखा परीक्षा किए गए लेखे प्रकाशित करेगी।

विभिन्न निधि कंपनियों, चैम्बर ऑफ निधिज तथा चैम्बर ऑफ बेनिफिट फंड्स ने यह प्रतिवेदन दिया कि दो दैनिक समाचार पत्रों में वार्षिक लेखे प्रकाशित करने को निम्नलिखित कारणों से जोर नहीं दिया जाना चाहिए :

- क) कई निधि कंपनियां निम्न पूंजी तथा कम मात्रा में लाभ पर कार्य करती है। अतः वार्षिक लेखे के प्रकाशन के लिए विज्ञापन पर हुआ व्यय असंगत तरीके से उनके अल्प स्रोतों का अपव्यय होगा।
- ख) वार्षिक लेखे सिर्फ कंपनी के सदस्यों / शेयरधारकों के लिए बनाए जाते है तथा जहां ये विभिन्न शेयरधारकों को डाक द्वारा भेज दिए जाते है वहां दो दैनिक समाचार पत्रों में वार्षिक लेखे के प्रकाशन से कोई लाभ नहीं होगा।
- ग) यहां तक कि एन बी एफ सी के मामले में भी वार्षिक लेखे के समाचार पत्रों में प्रकाशन पर जोर नहीं दिया गया है।

दल ने निधि कंपनियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया तथा यह पाया कि इस अपेक्षा को हटाए जाने के लिए दिए गए आधार विश्वसनीय एवं तर्कसंगत है। दल ने

यह नोट किया कि इस पहलू पर पहले भी निधि कंपनियों के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी कार्य विभाग ने सा.का.नि. 978 दिनांक 28.5.1963 जो विभिन्न अधिसूचनाओं जो दिनांक 11.10.1963, 4.6.1964, 12.2.65, 30.8.65, 14.1.1966 तथा अंतिम रूप से 1.10.1966 के थे, के साथ पठित है में अधिनियम की धारा 219 की अपेक्षाओं की तुलना में निधि कंपनियों की अपेक्षाओं को शिथिलता दी गई थी और यह कहा गया था कि वार्षिक लेखे को निधि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चिपका देना पर्याप्त होगा तथा यदि लेखे की प्रतियां डाक या अन्य था कंपनी के सभी सदस्यों तथा शेयर धारकों को अलग-अलग भेज दिए जाते है तो लेखे को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा।

इन तर्कों को स्वीकार करते हुए, दल ने यह सिफारिश किया था कि खण्ड 1 (ज) (द्वितीय ज) (ii) को हटा दिया जाए। निधि तथा म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियों के संभावित जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दल ने कंपनी के आवेदन पत्र में अद्यतन तुलनपत्र का एक संक्षिप्त विवरण शामिल करने की सिफारिश की है। (मुद्दा संख्या 8 का अवलोकन करें)

मुद्दा संख्या 17 : गैर-वितरित लाभांश

अधिसूचना के खण्ड 1 (ज) (द्वितीय ज) (v) में यह प्रावधान है कि 7 वर्ष से अधिक गैर-दावा किया हुआ कोई भी लाभांश कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 205ग के शब्दों में केन्द्र सरकार के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

इस प्रावधान के विरुद्ध विभिन्न निधि कंपनियों ने यह प्रतिवेदन दिया है कि यह खण्ड न तो निधि या न उनके सदस्यों के लिए लाभकारी हैं उन्होंने कहा है कि निधि कंपनियों के साथ एक विशेष आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें गैर-दावा वाले लाभांश को अपने सदस्यों के लाभ के लिए रिजर्व फंड में राशि को अंतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निधि कंपनियों ने यह भी इंगित किया है कि उन्हें

कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 205 क तथा 205 ख के प्रावधानों से भी छूट प्रदान की गई है तथा उन्हें लाभांश राशि संबद्ध सदस्यों के बचत खाते में जमा करने की अनुमति दी गई है।

दल ने निधि कंपनियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया तथा पाया कि इस प्रावधान की शिथिलता के लिए दिए गए आधार तर्कसंगत नहीं है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने से कंपनी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी जो उचित नहीं होगा। अतः दल ने यह सिफारिश किया कि मौजूदा प्रतिबंध को जारी रखा जाए तथा निधि कंपनियों को अन्य कंपनियों के समान जैसा कि अधिनियम की धारा 205 ग में अपेक्षित है, गैर-दावा वाले लाभांश के अंतरण के मामले में, फंड को निवेशक संरक्षण कोष में अंतरित करना होगा।

मुद्दा संख्या 18: विवेकपूर्ण मानदण्ड

दिनांक 26.07.2001 को सा. का. नि. 556 (अ) (इसके बाद से दूसरी अधिसूचना के रूप में संबोधित) आय की मान्यता एवं परिसंपत्ति के वर्गीकरण के कार्यों की देख-रेख करता है तथा अधिसूचना की तारीख से लागू है। बंधक-पत्र ऋण तथा अन्य ऋण जैसे आभूषणों के एवज़ में ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों तथा अपनी जमा रकम के लिए पृथक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, दल के विचार-विमर्श के दौरान सबसे विवादास्पद विषय बंधक-पत्र ऋण के लिए निर्धारित मानदण्डों से संबंधित है। अतः मुद्दे पर बहुत देर तक विचार-विमर्श हुआ।

2) बंधक पत्र ऋण के मामले में दूसरी अधिसूचना उन्हें दो मुख्य वर्गों में सूचीबद्ध करती है, यथा, स्तरीय परिसंपत्ति तथा गैर-निष्पत्ति परिसंपत्ति। स्तरीय परिसंपत्ति एक बंधक पत्र ऋण है जिसके संबंध में मूलधन या ब्याज पर अदा किए जा रहे किस्तों की अदायगी में कोई चूक नहीं है। ऋण के अन्य वर्ग गैर-निष्पत्ति परिसंपत्ति है, जिनमें ऋण के ब्याज या किस्त 12 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए अदा नहीं किए

जाते हैं। गैर-निष्पत्ति परिसंपत्तियों में निम्नस्तरीय परिसंपत्ति संदेहास्पद परिसंपत्ति तथा हानि परिसंपत्ति शामिल है। निम्न स्तरीय परिसंपत्ति गैर-निष्पत्ति परिसंपत्ति है अर्थात् जहां गैर-प्रदत्त ब्याज या किस्त की अदायगी 12 महीने या उससे अधिक तक बकाया हो। संदेहास्पद परिसंपत्ति वे ऋण हैं जो दो वर्षों से अधिक परन्तु 3 वर्षों से कम तक गैर-निष्पत्ति वाले रहे हों। हानि परिसंपत्ति वे हैं जो 3 वर्षों से अधिक गैर-निष्पत्ति रहे हों।

3) लेखा में जो प्रावधान बनाया जाना अपेक्षित है, वह निम्नलिखित है

निम्नस्तरीय परिसंपत्ति	– बकाया राशि का 10%
संदेहास्पद परिसंपत्ति	– बकाया राशि का 50%
हानि परिसंपत्ति	– बकाया राशि का 100%

उपर्युक्त अपेक्षा के विरुद्ध उठाया गया मुख्य विवाद यह है कि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी को बैंक या एनबीएफसी के समान नहीं माना जा सकता। जहां बैंक या एनबीएफसी मुख्यतः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती है तथा उस अतिरिक्त आय के आधार पर देती है जो इन ऋणों के उपयोग से होने वाली है, वहीं निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी गैर व्यवसायिक कर्जदाताओं को सामाजिक जरूरतों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण देती है। ये ऋण पूरी तहत से उपलब्ध प्रतिभूति के आधार पर दिए जाते हैं। तथा सामान्यतः ये किसी नियमित अवधि पर अदा नहीं किए जाते हैं बल्कि अनियमित समयान्तरालों में एक मुश्त अदा किए जाते हैं। सदस्यों द्वारा पुर्नअदायगी उनके पास उपलब्ध फंड पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में पुर्नअदायगी की किस्त कर्जदारों की सुविधा के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं न कि किस्तों में नियमित अदायगी की संभावना के लिए। दल के समक्ष यह जोरदार तरीके से तर्क दिया गया कि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के इतिहास में बुरे कर्ज के बहुत ही कम उदाहरण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण

बाजार मूल्य के 50% तक ही प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अपवादों को छोड़कर ऋण परिसंपत्ति के पंजीकृत बंधक-पत्रों पर ही प्रदान किए जाते हैं।

4) निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कुछ बड़ी निधि कंपनियों की असफलता का हवाला दिया। यह कहा गया कि उन मामलों में कंपनियों के पतन का कारण प्रबंधन द्वारा निधियों के कार्यों का धोखाधड़ी के तरीके से संपादन करना था, जिनमें प्रबंधन के स्वार्थ निहित थे। यदि उन निधियों ने संगम अनुच्छेद में शामिल विनियमनों का ठीक से पालन किया गया होता तो जमा की पुनर्दायगी में कोई चूक नहीं हुई होती। दल का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया कि सरकार द्वारा सा. का. नि. संख्या 603 (अ) दिनांक 20.10.97 के द्वारा कुछ अधिसूचनाओं को अधिसूचित करने के पश्चात् जिनमें किसी कर्जदाता को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम ऋण की राशि निर्धारित की गई थी, किसी निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी की असफलता का एक भी मामला सामने नहीं आया है। निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के प्रतिनिधियों ने यह तर्क दिया कि इन दो अधिसूचनाओं, जो दिनांक 26.7.2001 को अधिसूचित की गई थी के जारी होने से पहले इन कंपनियों के कार्यों को प्रशासित करने वाले विनियमन जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त थे। आगे यह कहा गया कि इन कंपनियों के संचालन का क्षेत्र छोटा है तथा सदस्यों की आपस में जान-पहचान होती है। कर्जदाताओं द्वारा चूक की स्थिति में संपत्ति के नीलामी की छोटी सी धमकी ही यह सुनिश्चित करता है कि कर्जदाता अपने बकाए को निबटा दें। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की घटनाएं अपवादस्वरूप हैं।

5) दल को यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं थी कि इन कंपनियों के प्रबंधनों द्वारा दिए गए तर्क सशक्त हैं। तथापि, संपत्ति की कीमतों में होने वाली गिरावट के वर्तमान रूख को ध्यान में रखते हुए तथा इन संपत्तियों को पंजीकृत बंधकपत्र के तहत बेचने में शामिल व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, कर्जदाताओं को दिए जाने वाले बंधकपत्र ऋण के संबंध में इन कंपनियों के सदस्यों को

कार्यों के वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। आदर्श समाधान तो यह होगा कि गैर-निष्पत्ति परिसंपत्तियों की स्थिति तथा हानि करने वाली प्रवृत्ति की पहचान कतिपय मापदण्डों के आधार पर करने के लिए लेखा में एक राशि का आकलन करने के लिए प्रावधान बनाया जाए। तथापि, निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के पूर्व इतिहास के मद्देनजर तथा उस सावधानी के तरीके, जिससे बंधक पत्र ऋण बाजार मूल्य के मात्र 50% पर ही प्रदान किए जाते हैं, और वह भी पंजीकृत बंधक पत्र संपत्ति पर, दल का यह विचार है कि वर्तमान स्वरूप में विवेकपूर्ण मापदण्डों को एक लंबे समय के पश्चात् ही लागू किया जा सकता है। दल को 24 कंपनियों के संबंध में प्रस्तुत किए गए विवरण से यह स्पष्ट था कि यदि विवेकपूर्ण मापदण्डों के वर्तमान स्वरूप को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाता है तो कई निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटियां हानि का प्रकटन करेंगी तथा कई मामलों में कंपनियों का शुद्ध मूल्य एक ऋणात्मक आकड़ा दर्शाएगी। परिणाम अवांछनीय हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार इन कंपनियों को अपनी जमा को कुल स्वामित्व वाले फंड तक प्रतिबंधित करने पर जोर दे रही है। मुद्दा संख्या 5 के विरुद्ध दल ने यह सिफारिश किया है कि दिनांक 31.03.2007 तक इन सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जमा, कुल स्वामित्व वाले फंड के 20 गुने से अधिक न हो। यदि इन कंपनियों को इसके अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अपने लेखे में प्रावधान बनाना होगा तो यह उनके लिए एक असंभव कार्य होगा।

6) दल यह महसूस करता है कि परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए मानदण्डों में कुछ शिथिलता तथा समय में पर्याप्त विस्तार देने की आवश्यकता है। दल यह सिफारिश करता है कि परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए पैरा 1 (ii)क में दिया गये स्पष्टीकरण को पुनः निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

- 1) "स्तरीय परिसंपत्ति" का अर्थ वह परिसंपत्ति है जिसके संबंध में मूलधन की अदायगी या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई हो तथा जो न तो

कोई समस्या का प्रकटन करती है, न ही व्यवसाय से जुड़ी साधारण जोखिम से ज्यादा जोखिम उठाती हैं।

2) "निम्न स्तरीय परिसंपत्ति "वह कर्ज देने वाला खाता है जो एक गैर-निष्पत्ति परिसंपत्ति है।

3) "संदेहास्पद परिसंपत्ति "वह कर्ज देने वाला खाता है जो दो वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम निष्क्रीय रहा हो।

4) "हानि परिसंपत्ति "वह कर्ज देने वाला खाता है जो तीन वर्ष से अधिक निष्क्रीय रहा हो या जहां निधि या उसके आंतरिक लेखापरीक्षक या निरीक्षण अधिकारी के मतानुसार निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान ऋण राशि की पुर्नअदायगी में कमी की संभावना होगी क्योंकि दिए गए दस्तावेजों को यदि कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन दायर किया जाता है या कोई अन्य कारण से दायर किया जाता है तो वे अवैध हो जाएंगे।

5) " गैर- निष्पत्ति परिसंपत्ति " वह कर्ज देने वाला खाता है जहां मूलधन की राशि की अदायगी के लिए ब्याज आय तथा/ या ऋण की किस्त 12 माह तक बगैर वसूल की हुई रही।

7) दल ने यह भी सिफारिश किया है कि परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए अपेक्षित प्रावधानों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए :-

परिसंपत्ति की प्रकृति	अपेक्षित प्रावधान
स्तरीय परिसंपत्ति	कोई प्रावधान नहीं
निम्न स्तरीय परिसंपत्ति	कुल बकाया राशि का 10%

संदेहास्पद परिसंपत्ति	कुल बकाया राशि का 25%
हानि परिसंपत्ति	कुल बकाया राशि का 100%

8) दल ने यह सिफारिश किया है कि चूंकि निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी दिनांक 31.03.2002 तक आय की मान्यता, परिसंपत्ति का वर्गीकरण तथा बकाया बंधक-पत्र ऋण के लिए प्रावधान की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर पाएगी अतः अनुपालना के लिए निम्नानुसार पर्याप्त समय प्रदान किया जाए:-

जिस तारीख तक बंधक-पत्र ऋण दिए गए थे तथा उस दिनांक तक बकाया	अनुपालना तारीख अर्थात्- तुलन पत्र की तारीख
क) 31.03.2000	31.03.2005
ख) 31.03.2001	31.03.2006
ग) 31.03.2002	31.03.2007

9) जबकि परिसंपत्ति के वर्गीकरण तथा मौजूदा बंधक-पत्र ऋण के लिए आय की मान्यता/प्रावधान बनाने की अनुपालना उपरोक्तानुसार होगी, दूसरी अधिसूचना में निर्धारित मानदण्ड उपर्युक्त पैरा 6 एवं 7 में की गई सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01.04.2002 के बाद से स्वीकृत किए गए सभी बंधक-पत्र ऋण पर लागू होंगे।

10) जहां तक आभूषण आदि के एवज में ऋण का संबंध है, निधि तथा म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी के प्रतिनिधियों को विवेकपूर्ण मानदण्डों के प्रवर्तन में कोई गंभीर आरक्षण नहीं था। तथापि, यह बताया गया कि अक्सर ऐसे ऋण बगैर किसी औपचारिक नवीकरण के जारी रखे जाते हैं। प्रतिनिधियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए यदि ऋण का नवीकरण एक वर्ष के अंदर कर लिया

जाता है तो ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर, दल ने यह सिफारिश किया कि दूसरी अधिसूचना के खण्ड 1 (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए

"स्वर्ण आभूषण आदि के जमानत के एवज़ में दिए गए ऋण की कुल बकाया राशि, ऐसे ऋण को प्रदान करते समय निर्दिष्ट पुर्नअदायगी की तारीख के बाद अगले तीन महीनों के अंदर या तो वसूल या नवीकृत किया जाना चाहिए। यदि वसूल या बिक्री नहीं की जाती है तो बिना वसूल की गई राशि की सीमा तक या ऋण की कुल बकाया राशि तक, जो भी लागू हो, चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते में 100% प्रावधान होना चाहिए। 3 महीनों की अवधि की समाप्ति या आभूषणों की बिक्री के पश्चात्, जो भी पहले हो, ऐसे बकाया ऋण पर कोई भी आय मान्य नहीं होगी।"

व्यावहारिकता

दोनों अधिसूचनाओं के पैरा 2 में यह प्रावधान है कि उसमें शामिल निर्देश कंपनी अधिनियम की धारा 620 क के तहत अधिसूचित सभी निधि कंपनियों पर अधिसूचनाओं के प्रकाशन के पहले या बाद में लागू होंगे तथा यह ऐसी सभी संभावित निधि कंपनियों पर भी लागू होंगी जो अधिनियम के तहत निधि का स्तर पाने के योग्य हैं। इस बात के मद्देनज़र इस रिपोर्ट में शामिल सिफारिश ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी। इस बात पर विचार करने पर कि निधि कंपनियों का वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए अपने खाते लेखे 31.3.2002 को बंद करने होंगे, यह आवश्यक है कि विभिन्न सिफारिशों पर तत्काल निर्णय लिया जाए तथा इन्हें दिनांक 31.03.2002 से पहले अधिसूचित कर दिया जाए।

III. निष्कर्ष

दल ने अधिसूचना सा. का.नि 555 (अ) तथा 556 (अ) दिनांक 26.07.2001 का मौजूदा निधि या म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी तथा संभावित निधि कंपनियों पर आशय का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। विभिन्न निधि कंपनियों तथा चैम्बर्स को दल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त अधिसूचनाओं को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में आई मुश्किलों एवं दिक्कतों को वर्णन करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। दल द्वारा अपने विभिन्न विचार-विमर्शों के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों की विस्तृत जांच की गई तथा मौजूदा निधि/बेनिफिट फंड कंपनियों द्वारा एक समर्थकारी तरीके से समाज के गरीब वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में निभाई जा रही अच्छी भूमिका को ध्यान में रखकर सिफारिशों की गई हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि सिफारिशों करने के दौरान जो गलतियां रह गई हैं उन्हें सबानयागम समिति की जिन सिफारिशों के द्वारा ठीक करने की मांग की गई हैं, उनकी पहचान कर ली गई हो तथा जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है वे हल्के नहीं हो। जहां जमाकर्ताओं के हितों की यथावत् पहचान की गई है, वही निधियों की व्यवहारिक कठिनाईयों तथा उपयुक्त विकास की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कि भविष्य में निधि, मापदण्डों के अनुसार व्यवसायिक रूप से संचालित हो ताकि वे समाज की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें।

(ए. आर. राव)

अध्यक्ष

(एम सदाशिवन)

सदस्य

(टी एस गोकिलन)

सदस्य

(एस गोपालकृष्णन)

सदस्य

(वी. एस. राव)

सदस्य

(राजेश मल्होत्रा)

सदस्य
